न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

(3)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/27/2023	2023/338	14-06-2023	19-07-2023

01— रूपसिंह पुत्र रतनलाल जाति माली निवासी, ग्राम खेडी तहसील रामगढ़ हाल निवासी शिव कॉलोनी, रामबास वार्ड नं. 1 तहसील गोविन्दगढ़ जिला अलवर (राजस्थान)

—अपीलाण्ट

बनाम

01— तहसीलदार रामगढ़ जिला अलवर (राजस्थान)

—रेस्पोडेन्ट

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज०)

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार रामगढ़ निर्णय दिनांक 10.10.2001 इंतकाल सं. 955 वाके ग्राम खेडी, तहसील रामगढ़, जिला अलवर।

उपस्थित:—

01—श्री देवेन्द्र कुमार जैन —वकील अपीलान्ट

02—श्री दीपक मीना —राजकीय अभिभाषक

—:निर्णय:—

अपीलाण्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ़ के निर्णय दिनांक 10.10.2001 इंतकाल संख्या 955 वाके ग्राम खेडी तहसील रामगढ़ स्वीकार किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया एंव तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि अपीलांट के पिता रतनलाल की विरासत का इंतकाल सं. 955 दिनांक 10.10.2001 को प्रशासन गांव में अपीलांट की एकतरफा में उसको सूचना दिये बिना ही दर्ज व स्वीकार किया है। मृतके रतनलाल के वारिसों की सही प्रकार से जांच नहीं की और उनके सही नाम की जानकारी प्रशासन गांव में नहीं ली गई, वार्ड पंच, सरपंच व पटवारी हल्का से वारिसों के नाम की भी जांच नहीं की, जबकि मृतक रतनलाल के तीन पुत्र श्योबक्स, किशन, रूपसिंह हैं। नामान्तकरण विरासत में रूपसिंह के स्थान पर गलत नाम रूपचंद अंकित किया गया। यदि अपीलांट को सूचित किया होता तो सही नाम रूपसिंह के नाम का इन्द्राज होता, रूपचंद गलत नाम नहीं आता। रतनलाल की विरासत का नामान्तकरण दिनांक 09.10.2001 को दर्ज हुआ और उसका निस्तारण बिना जांच के दिनांक 10.10.2001 को 24 घण्टे के अन्दर ही कर दिया। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय गैर कानूनी है। नामान्तकरण सं. 955 में रूपचंद नाम का गलत इन्द्राज हो जाने के कारण इंतकाल सं. 1059 दिनांक 01.03.2004 को दर्ज हुआ और वह भी दिनांक 05.03.2004 को बिला जांच किये निर्णित कर दिया गया। इसलिए इंतकाल सं. 1059 भी इंतकाल सं. 955 में भी दुरूस्ती होती है, तो इंतकाल सं. 1059 में भी अपीलांट का नाम रूपचंद के स्थान पर रूपसिंह अंकित करने

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

(५)

का आदेश फरमाया जाये। रतनलाल के दो पुत्रों के साथ तीसरा पुत्र रूपसिंह है, न कि रूपचंद है। जिसकी ताईद में आधार कार्ड व वोटर फोटो पहचान इत्यादि आदि दस्तावेज प्रस्तुत है। न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.10.2001 बाबत इंतकाल सं. 955 ग्राम खेडी तहसील रामगढ़ की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.05.2023 को हुई, जबकि अपीलांट कृषि क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए राजस्व रिकॉर्ड की नकल निकलवाने हेतु पटवारी हल्का ग्राम खेडी के पास गया तो उसने ई–मित्र से नकल निकलवाने की सलाह दी गयी और नामान्तकरण आदि की नकल तहसील रामगढ़ से प्राप्त करने की सलाह दी गयी। जिस पर अपीलांट ने तहसील रामगढ़ में नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 16.05.2023 को नकल प्राप्त हुई, नकल प्राप्त होने का समय मुजरा देने पर यह अपील जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। दिनांक 10.10.2001 से आज तक का समय नामान्तकरण की जानकारी न होने के अभाव में व्यतीत हुआ है, जो काबिले माफी है। जिसे माफ किये जाने हेतु अपील के साथ पृथक से प्रार्थना–पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का पेश कर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जावे, तथा अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 10.10.2001 नामान्तकरण सं. 955 को निरस्त करते हुए रतनलाल (मृतक) के वारिसान में रूपचंद के इन्द्राज को हटाकर रूपसिंह अंकित किया जाये और पुनः नामान्तकरण दुरूस्त कर स्वीकार किया जावे तथा नामान्तकरण सं. 1059 दिनांक 05.03.2004 में रूपचंद के स्थान पर रूपसिंह किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए जाहिर किया है, कि तहत अदालत के द्वारा नामान्तकरण संख्या 955 वाके ग्राम खेडी तहसील रामगढ में वर्णित आराजी मुताबिक सजरा वारिसान के नाम दर्ज कर निर्णित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं वकील अपीलाण्टान व राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 955 निर्णय दिनांक 10.10.2001 वाके ग्राम खेडी तहसील रामगढ जिला अलवर के विरूद्व अपील न्यायालय हाजा को दिनाक 14.06.2023 को पेश की गयी है, जो करीब 22 वर्ष अत्याधिक विलम्ब से पेश की गयी है, विलम्ब की अवधि असाधारण नही है, अपीलान्ट ने अपील अत्याधिक विलम्ब से पेश की है, तथा विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी पेश नही किया अपील किये जाने में हुये विलम्ब को कण्डोन कराने हेतु दिन–प्रतिदिन का कारण स्पष्ट करना होता है, जो अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना–पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम में स्पष्ट नही किया गया है। हम अपील का निस्तारण केवल दफा 5 मियाद के बिन्दू पर ही निस्तारण किया जाना उचित नही समझते है, बल्की अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जाना उचित समझते है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.10.2021 की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 10.05.2023 को होना अंकित किया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलाण्टान अन्दर मियाद शुमार

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

की जाती है। अपीलान्ट का मुख्य कथन है, किमृतक रतनलाल के वारिसों की सही प्रकार से जांच नहीं की और उनके सही नाम की जानकारी प्रशासन गांव में नहीं ली गई, वार्ड पंच, सरपंच व पटवारी हल्का से वारिसों के नाम की भी जांच नहीं की, जबकि मृतक रतनलाल के तीन पुत्र श्योबक्स, किशन, रूपसिंह हैं। नामान्तकरण विरासत में रूपसिंह के स्थान पर गलत नाम रूपचंद अंकित किया गया। यदि अपीलांट को सूचित किया होता तो सही नाम रूपसिंह के नाम का इन्द्राज होता, रूपचंद गलत नाम नहीं आता। जबकि अपीलान्ट के रार्शन–कार्ड, बैक पास बुक, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में अपीलान्ट का नाम रूप सिंह दर्ज है, चूंकि विरासत का नामान्तकरण सं. 955 दिनांक 10.10.2001 को प्रशासन गांव में अपीलांट की एकतरफा में उसको सूचना दिये बिना ही दर्ज व स्वीकार किया है। जिसके कारण उक्त नाम की त्रुटी की गयी है। जो न्यायोचित नहीं है। अपील अपीलाण्टान स्वीकार किये जाने योग्य है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है, कि अपीलान्ट द्वारा नामान्तकरण संख्या 955 के साथ–साथ नामान्तकरण संख्या 1059 में भी नाम संशोधित किये जाने हेतु निवेदन किया गया है जो उचित नही है, जबकि नियमानुसार प्रत्येक नामान्तकरण की अपील पृथक–पृथक पेश कर विधिवत कार्यवाही किये जाने का विधिक प्रावधान है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तथा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 10.10.2001 नामान्तकरण संख्या 955 वाके ग्राम खैडी तहसील रामगढ जिला अलवर अपीलान्ट के नाम की हद तक निरस्त किया जाता है। अपील अपीलांट तहसीलदार रामगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलान्ट के दस्तावेजात् यथा रार्शन–कार्ड, बैक पास बुक, आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि की भलीभांति जांच कर विधिवत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सलीम सिंह शेखावत)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)